ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं अर्थात् (i) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन; (ii) पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन तथा (iii) बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा अधिक, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान तथा नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों से संबंधित ₹ 747.16 करोड़ से आवेष्टित 20 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

2011-16 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 38,014 करोड़ से 109 प्रतिशत बढ़कर ₹ 79,394 करोड़ हो गया, राजस्व व्यय 2011-12 में ₹ 32,015 करोड़ से 85 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 59,236 करोड़ हो गया जबकि 2011-16 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 5,372 करोड़ से 29 प्रतिशत बढ़कर ₹ 6,908 करोड़ हो गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

1. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यचालन

कृषि उत्पाद के क्रय, विक्रय, भंडारण तथा प्रोसेसिंग के बेहतर विनियमन हेतु सुविधाएं प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना अगस्त 1969 में की गई। बोर्ड के कार्यचालन की 2011-16 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं एवं स्कीमों के वित्तीय प्रबंध एवं निष्पादन दोनों में दीर्घावधि आयोजना की कमी तथा त्रुटियां प्रकट की जिसने बोर्ड के समग्र लक्ष्यों का अवमूल्यांकन कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

अधिशेष निधियां सावधि जमाओं में रखने की बजाए बचत बैंक खातों में रखे गए थे परिणामत: ₹ 6 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। ऋण पर ब्याज, गोदाम किराया, पानी एवं सीवरेज प्रभारों, दुकान/बूथ स्थलों/भूमि की लागत तथा वृद्धित भूमि क्षतिपूर्ति के कारण ₹ 126.44 करोड़ की राशि बकाया थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.4 तथा 2.1.7.5)

38 मार्केट कमेटियों में मूलभत संरचना सुविधाएं जैसे चारदीवारी, एंट्री प्वाइंट पर धर्मकांटा, चैकपोस्ट, कैंटीन तथा डोरमिटरी प्रदान नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

अयोग्य लाइसेंसधारियों को आरक्षण मूल्य पर प्लॉट आबंटित किए गए थे परिणामत: ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

दुकानों/बूथों पर बेसमेंट/ऊपर की मंजिल के अनियमित निर्माण के लिए ₹ 2.39 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई गई।

(अनुच्छेद 2.1.8.4)

कृषीय नवीनता तथा अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने के लक्ष्य वाली तीन स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई यद्यपि निधियां उपलब्ध थी।

(अनुच्छेद 2.1.10)

2. पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक का कार्यचालन

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक राज्य का एक मुख्य चिकित्सा संस्थान है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान प्रदान करना था। 2011-16 की अवधि के दौरान संस्थान की कार्यवाही पर निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कमियां पाई गई जिसने इसकी राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के इसके संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने की योग्यता को क्षीण कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

मास्टर योजना तथा वार्षिक योजनाएं तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में लक्ष्य स्थापित नहीं किए गए थे तथा मूल्यांकन का आकलन नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.2.6)

खरीद में देरी तथा अप्रचलित उपकरण से राज्य में चिकित्सा सेवाओं की प्रदानगी तथा शैक्षिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

₹ 56.59 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर, सभागार तथा जननी एवं शिशु देखभाल अस्पताल, चिकित्सा उपकरण तथा फर्नीचर के न खरीदने के कारण उपयोग में नहीं लाए जा सके।

(अनुच्छेद 2.2.8.3 (v))

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा जलने से घाव की रोकथाम हेतु पायलट कार्यक्रम को धीमी गति से लागू करने से मरीजों को स्कीमों के लाभ पहुंचाने में देरी हुई।

(अनुच्छेद 2.2.8.4)

3. बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 में पारित किया गया था तथा अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अधिनियम प्रावधान करता है कि प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक तथा उचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 2010-16 की अवधि के दौरान अधिनियम के लागू होने बारे निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा कमियां पाई गई जो कि अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति को कम करता है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

नमूना-जांच किए गए स्कूलों में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों की पहचान हेतु घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया गया। अत:, बच्चों की संख्या की परिगणना, जोकि आवृत की जानी थी, केवल आकलन पर आधारित थी।

(अनुच्छेद 2.3.6.1)

नमूना-जांच किए गए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कमरे, पीने का पानी, रसोई घर शैड, शौचालय, डैस्क, पुस्तकालय तथा खेल का मैदान प्रदान करने में कमियां थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.2)

विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री तथा बस्ते प्रदान करने में देरी थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.4 (i))

अधिनियम के उल्लंघन में 2011-16 के दौरान राज्य में 514 से 821 गैर-मान्यताप्राप्त स्कूल कार्यरत थे।

(अनुच्छेद 2.3.8.7)

निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यचालन तथा पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा ने बोर्ड से स्थापना हेतु अनिवार्य सहमति तथा परिचालन के लिए सहमति प्राप्त किए बिना परियोजनाओं के परिचालन, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शर्तों, जिसमें परिवेशी वायु, परिवेशी शोर तथा भूमि जल के परीक्षण करने शामिल हैं, की अनुपालना न करने तथा पर्यावरणीय निर्धारणों की मॉनीटरिंग तथा प्रवर्तन की कमी के उदाहरण, जिसने पर्यावरणीय नियंत्रणों के लक्ष्य को दुर्बल बना दिया, प्रकट किए।

(अनुच्छेद 3.1)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा ने प्रकट किया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संस्थाओं को पहचानने के लिए सर्वेक्षण किया और न ही खाद्य व्यापार संस्थाओं का डाटाबेस अनुरक्षित किया। खाद्य प्रयोगशालाएं खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं थी। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की अननुपालना स्वास्थ्य बाधाएं दर्शाती हैं क्योंकि खाद्य की गुणवत्ता आश्वासित नहीं की जाती।

(अनुच्छेद 3.2)

वृद्धित क्षतिपूर्ति के लिए प्रोसेसिंग तथा मामले को अनुसरित करने में भूमि अधिग्रहण कलैक्टर तथा पुलिस विभाग की ओर से अदेय विलंबों के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 4.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने में विफल रहा। फैकल्टी की कमी, व्यापारों के अपरिचालन और कौशल विकास की कमी के कारण खराब शैक्षिक उपलब्धि के मामले थे। इसके अतिरिक्त, एफिलिएशन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे और सफलता प्रतिशतता कम थी।

(अनुच्छेद 3.5)

अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय की कमी के साथ-साथ नाजुक गतिविधियों की अपूर्णता का परिणाम न केवल एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम चालू करने में अत्यधिक विलंब में हुआ बल्कि क्षेत्र के निवासियों को अभीष्ट लाभों से भी वंचित रखा। स्कीम पर किया गया ₹ 7.87 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.6)

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा निवेश प्रोत्साहक स्कीमों का कार्यान्वयन अयोग्य मदों के लिए ₹ 1.32 करोड़ का अनुदान, ₹ 26.23 करोड़ के ब्याजमुक्त ऋण की अवसूली और ₹ 14.76 लाख के सहायता अनुदान की अवसूली द्वारा चिन्हित है। विभाग ने दस वर्षों में केवल पांच औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण केंद्र और ठेकेदारी विकास कार्यक्रम के लक्ष्य ₹ 1.65 करोड़ का व्यय करने के बाद भी प्राप्त नहीं किए गए।

(अनुच्छेद 3.7)

स्थल का भौतिक स्वामित्व लेने में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड की विफलता के कारण कुंडली और राई में कार्मिक सुविधा केंद्रों के निर्माण में विलंब और ₹ 10.44 करोड़ की निधियों के अवरोधन तथा ₹ 1.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.8)

चार मेडिकल संस्थानों ने भारत सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान होने के कारण छूट दी गई सेवाओं पर सेवा कर के ₹ 6.59 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.9)

महाराजा अग्रसेन मेडिकल कालेज द्वारा एजेंसी के विश्वसनीयता और कार्य अनुभव सुनिश्चित किए बिना और शेष कार्य चूककर्ता एजेंसी के जोखिम और ब्याज पर करवाए बिना, जैसा कि अनुबंध में प्रावधान था, ₹ 8.57 करोड़ के मूल्य के निर्माण कार्यों के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.10)

माप पुस्तिका में प्रविष्टियों के साथ बिलों में मात्रा का सत्यापन किए बिना तथा आंतरिक नियंत्रण जांच के अभाव संबद्ध अभिलेखों तथा बिटुमेन की दरों के समन्वय से बढ़ी हुई मात्राओं को अपनाने तथा बिटुमेन की दरों के अंतर की गलत परिगणना से परिणामत: दस एजेंसियों को ₹ 1.17 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.13)

परियोजना के सभी घटकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.59 करोड़ का व्यय करने के बावजूद अपूर्ण कार्य तथा तालाब तथा ऐलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी के उपचारित निस्सार के स्राव के कारण क्षेत्र में निवासियों का अस्वास्थ्यकारी दशाओं तथा स्वास्थ्य खतरों का सामना हुआ।

(अनुच्छेद 3.15)

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित जांच बिंदुओं की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप लोहे की पाइपों की चोरी तथा चोरी की गई सामग्री के कारण ₹ 1.19 करोड़ की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.16)

हरियाणा राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् ने कोडल प्रावधानों तथा वित्तीय स्वामित्व के उल्लंघन में साईंस सिटी की स्थापना के लिए मौलिक आवश्यकताएं सुनिश्चित किए बिना ₹ 14.66 करोड़ आहरित किए। तथापि, परिषद द्वारा ₹ 10.37 करोड़ राशि के अर्जित ब्याज सरकारी खाते में अभी तक जमा नहीं करवाए गए।

(अनुच्छेद 3.17)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा विनियमों के अनुसार भूमि की कीमत में अर्जित न की गई वृद्धि का निर्धारण किए बिना ही भूमि को पट्टे पर देने के परिणामस्वरूप ₹ 417.15 करोड़ जमा नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, ₹ 8.07 करोड़ का वार्षिक ग्राऊंड किराया तथा ₹ 2.70 करोड़ का ब्याज वसूल किए बिना रहा।

(अनुच्छेद 3.18)

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 'विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं हेतु गृह' स्कीम के कार्यान्वयन में कमियां थी जैसा कि भवनों की अच्छी तरह से मरम्मत न करना, कमरों का कम अधिभोग, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा की कमी आदि से स्पष्ट है। कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद में प्रवेश बंद कर दिया गया है तथा 18 जिलों में कोई नया गृह नहीं बनाया गया है। विभाग ने अप्रैल 2011 से मार्च 2016 के दौरान वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.50 करोड़ तथा विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता पर केवल ₹ 0.95 करोड़ खर्च किए। स्कीम का कम प्रचार था तथा सही निरंतरता में कमी थी।

(अनुच्छेद 3.19)

जन्म के समय लिंग अनुपात सुधारने, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने तथा ड्राप-आउट लड़कियों के 100 प्रतिशत पुन: नामांकन के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, प्री-कॉनसेपशन तथा प्री-नेटल डायगनोस्टिक टैकनीक एक्ट के कार्यान्वयन को मजबूत किए जाने की जरूरत थी।

(अनुच्छेद 3.20)